

कार्यालय-प्रधानाचार्य, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।

पत्रांक:-मे0का0दे0/जे0आर0/नियुक्ति/2022-23/

दिनांक 31/01/22

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक:-मे0का0दे0/विज्ञप्ति/सूचना/2022-23/53, दिनांक 11.04.2022 के विज्ञप्ति द्वारा महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया हेतु विभिन्न विभागों में रिक्त हुए जूनियर रेजिडेंट (वेतनमान रु0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 5400) के लिए दिनांक-10.08.2022, 17.08.2022, 24.08.2022, 31.08.2022 एवं 07.09.2022 को सम्पन्न वॉक इन इन्टरव्यू (Walk in Interview) में कमेटी की संस्तुति एवं प्रतिक्षारत सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थी को चयनित किया जाता है।

क्र०सं०	जूनियर रेजिडेंट का नाम	पिता/पति का नाम	श्रेणी	मोबाईल नम्बर
01	डा० सुष्मिता शेखर	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह	सामान्य	7905111797
02	डा० रागिनी मिश्रा	श्री राहुल त्रिपाठी	सामान्य	7757810171
03	डा० साक्षी श्रीवास्तव	श्री ए०सी० श्रीवास्तव	सामान्य	9919466663
04	डा० चन्द्रेश कुमार	श्री दयाराम	ओ०बी०सी०	8530976689

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित हो कर निम्न शर्तों के अधीन कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

01. यह आवश्यक होगा कि नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के 05 कार्य दिवस के भीतर पद रिक्त होने के सापेक्ष संस्था में अपना कार्यभार ग्रहण कर ले। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी।
02. जूनियर रेजिडेंट मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न तो कहीं प्राइवेट प्रैक्टिस करेगा।
03. जूनियर रेजिडेंट महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग/कोविड-19/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
04. कार्यों में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजक न पाये जाने पर आपकी सेवा तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
05. यह नियुक्ति सम्बंधित विभागाध्यक्ष द्वारा त्रैमासिक समीक्षा एवं मूल्यांकन के आधार पर अधिकतम एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
06. किसी भी जूनियर रेजिडेंट को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 माह पूर्ण होने से पूर्व अपने पद से त्याग-पत्र दिये जाने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा की स्थिति में सम्बंधित जूनियर रेजिडेंट के एक माह का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
07. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
08. कार्यस्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है। परन्तु बिना प्रतिस्थानी की उपलब्धता के कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
09. किसी भी प्रकार का हडताल या आन्दोलन करने पर नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।

प्रधानाचार्य

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।

पत्रांक/मे0का0दे0/जे0आर0/नियुक्ति/2022-23/888

तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0, लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
04. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
05. प्रभारी अधिकारी बेवसाइट, मेडिकल कालेज, देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज बेवसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
06. सम्बंधित विभागाध्यक्ष।
07. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. लेखाधिकारी, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. सूचना, पट, कालेज।
09. गार्ड फाईल।

प्रधानाचार्य

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।